

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक-12.4.18

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प0- 4968/इमारत-ए-शरिया के तत्वावधान में दिनांक 15.4.2018 को आयोजित "दीन बचाओ देश बचाओ" अधिवेशन के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु विभागीय आदेश सं0 4715 दिनांक 09.04.2018 के द्वारा मो0 इब्रार अहमद खान, बि0प0से0, को0क0-951/11, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना को समाहरणालया, पटना में की गयी प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री राजीव रंजन, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 15.04.2018 को आयोजित "दीन बचाओ देश बचाओ" अधिवेशन के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु दिनांक 14.04.2018 से 15.04.2018 तक के लिए समाहरणालय, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।


2. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 14.4.2018 के पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, पटना के समक्ष योगदान कर उनके निर्देशन में कार्य करेंगे तथा अधिवेशन का कार्यक्रम समाप्त होने पर अपने पदस्थापनवाले पद पर स्वतः योगदान कर लेंगे ।

  
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प0- 4968 /पटना, दिनांक- 12.4.18

प्रतिलिपि-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव